

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी)-।, महाराष्ट्र

श्राम अर्थ । (राजा एवं २००५(१) न, नारा (राज्य १४) १ मान्य अर्थ । स्ट्राम अर्थ ग्रह्म अर्थ

मृत्रई - 400 020. तृत्रमाप क. - (022)22039680,१६४म - 22086384. इ.सम. agailMaharashtra1@cog.gov.in, वैद्यमार्ड्यः http://agriaha.cog.gov.in



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2rd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai – 400 020. Tel No.- (022) 22039680, Fax - 22086984 e-mail: agaeMaharashtrat@cag gov in, Website: http://agmaha.cag.gov.in.

पंजीकृत डाक

- 1.सभी खजाना कार्यालय
- वेतन एवं लेखा अधिकारी, लेखा-कोा भवन, ए विंग, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
 - विषय-1)Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Govt. whose pension is revised in according with the recommendation of the 7th Pay Commission (Increased from 38% to 42% w.e.f. 01/01/2023).
 - 2) Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Govt. whose pension is not revised in according with the recommendation of the 7th Pay Commission (Increased from 212% to 221% w.e.f. 01/01/2023).
 - संदर्भ-1)Govt. of Uttarakhand, Fin.(G.R.P.C.) Section-7,OM No.12637/XXVII(7)/E-22807/2022 dated 02/06/2023.
 - 2)Govt. of Uttarakhand, Fin.(G.R.P.C.) Section-7,OM No.12633/XXVII(7)/E-22807/2022 dated 02/06/2023.

महोदय,

उपरनिर्दिट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) Uttarakhand, Dehradun के पत्र संख्या पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखंड/2023–2024/755 दिनांक 11/07/2023 द्वारा प्राप्त हुआ है

- 2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है
- 3. सभी Uttarakhand सरकार के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपन्न की एक प्रति कृपया सूचना पटट पर दर्शायें।
- 4. This said Orders have been uploaded on this office website i.e. <u>cag.gov.in/ae/mumbai/en.</u> कृपया इस परिपन्न की पावती भेजें।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी,आर. सं. P/23/Govt/61275800/Uttarakhand/Ch.5/जा.सं.

- 1. कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II, महाराट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)
- 2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराट्र सरकार, मुंबई.
- 3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
- 4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
- 5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
- 6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
- 7. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
- 8. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
- 9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5th Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya 32.
- 10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) , Uttarakhand, Dehradun के पत्र संख्या पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत /उत्तराखंड/ 2023–2024/755 दिनांक 11/07/2023.

उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा0नि0-वे0आ0)अनुभाग-7 संख्या-126934 XXVII(7)/E-22807/2022

विषयः

राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विमाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या--74729 /XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 08 नवम्बर, 2022 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01-01-2023 से 38 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- यह आदेश माठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोंक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विमागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- यह आदेश विद्यालयी शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विमाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है.. पर भी लागू
- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 /दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राष्ट्रत आदि के मुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का मुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्यन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथायत लागू रहेंगे।

Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 / XXVII(7)/E-22807/2022 Dehradun; Dated May, 2023 02 JUNE

- uapaarneparluoemputer No. 22807.)

Office Memorandum Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation the of 710 pay Commissions.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2023 @ 42% instead of 38 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 74729/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 08 November, 2022 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

- These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.
- These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.
- orders per issued O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Signed by Dilip Jawalkar Date: 01-06-2023 15:30:11

(दिलीप जायलकर) सचिव।

(Dilip Jawalkar) Secretary.

126934 <u>संख्या— / XXVII(7)/६-22807/2022, तद्दिनांक</u>। प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय रिथित को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कंप्ट करें।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हक्तदारी, डालनवाला, देहरादून।
- 8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड. डालनवाला, देहरादुन।
- समरत मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेपित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुदित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कप्ट करें।

आज्ञा से.

(गंगा प्रसाद) अपर राचिव। No / XXVII(7)/E-22807/2022, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2-All Additional Chief Secretaryies/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Ultarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6- Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand Please.

By Order,

Signed by Ganga Prasad Date: 01-06-2023 15:50:23 (Ganga Prasad) Additional Secretary.

1926930/2023 /126930/2023

> उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा0नि0-वे0आ0)अनुभाग-7 संख्या-12-6930/ XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादूनः दिनांकः ਸ\$, 2023 02 47 कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 No-126930/XXVII(7)/E-22807/2022 Dehradun: Dated May, 2023 025VNC

Office Memorandum

विषय: जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के ऐसे सियिल/पारिवारिक पेंशनर Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/samily pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेशनर, जिनकी पेशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तृतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-77442 /XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 18 नवम्बर, 2022 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01-01-2023 से 212 प्रतिशत के स्थान पर 221 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2023 @ 221% instead of 212% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 77442/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 18 November, 2022 for those pensioners whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

- यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू, नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.
- यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू
- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.
- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 /दस/10(3)-81. दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- As orders issued DCL in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- मंष्ठगाई राष्ट्रत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इसरो पूर्व निर्गत शासनादेशों भें निर्घारित थे, यथावत् लाग् रहेंगे।
- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Signed by Dilip Jawalkar Date: 01-06-2023 15:26:57

(दिलीप जायलकर) सचिव।

(Dilip Jawalkar) Secretary.

संख्या— 12 69 3 ° (1) / XXVII(7)/E-22807/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

- प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजिनक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/ उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 9 उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुदित करा कर विस अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

No (1)/ XXVII(7)/E22807/2022, the dated.
Copy forwarded to following for information and necessary action.

- I- Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- All Additional Chief Secretaryies / Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- Principal Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- 4 All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- b Director, Treasury, Pension and Hukdari. Utatrakhand.
- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- & All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttnrakhand.

आज्ञा से.

(गंगा प्रसाद) अपर सचिव। By Order,
Signed by Ganga Prasad
Date: 01-06-2023 15:49:08
Additional Secretary.